मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी/6-4/2009/3/एक — भोपाल, दिनांक 6 नवंबर, 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवाओं के विरुद्ध लंबित अनुशानात्मक/न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान उनकी पदोन्नति/स्थायीकरण.

उपरोक्त विषय पर सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. F/C6-2/94/3/एक, दिनांक 30 जून 1994 एवं परिपत्र क्र. सी-6-2/2006/3/एक, दिनांक 11-9-2007 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं परंतु इन निर्देशों का पालन न करते हुये नियम विरुद्ध पदोन्नति/स्थायीकरण किये जाने की कार्यवाही की जा रही है. शासन के ध्यान में आया है कि एक प्रकरण में शासकीय सेवक के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचलित रहते हुए उसे पदोन्नति प्रदान की गई जबकि ऐसे मामलों में समिति की अनुशंसा सीलबंद लिफाफे में रखे जाने के निर्देश हैं. उपरोक्त त्रुटि के लिए सक्षम अधिकारी को विभागीय जांच की जानकारी का न होना बताया गया है. ऐसी घटनायें प्रशासकीय दृष्टि से नितांत अवांछनीय हैं.

2. शासकीय सेवकों के निलंबन, विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण एवं दण्डादेश की जानकारी संबंधित स्थापना शाखा में उपलब्ध रहती है. स्थापना शाखा के प्रभारी अधिकारी का यह कर्तव्य है कि विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष शासकीय-सेवकों के निलंबन, उनके विरुद्ध लंबित विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण एवं दण्डादेश आदि की सही जानकारी प्रस्तुत करें. उपरोक्त घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु निर्देशित किया जाता है कि स्थापना शाखा के प्रभारी अधिकारी, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि "उनके द्वारा पदोन्नति के विचारण क्षेत्र में सम्मिलित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध लंबित विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण, दण्डादेश एवं निलंबन आदि के संबंध में सही जानकारी दी गई है" उपरोक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद यदि उपलब्ध करायी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाई जाये तो संबंधित स्थापना शाखा के प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुशानात्मक कार्यवाही की जाये.

3. उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये.

हस्ता./-

(सुदेश कुमार)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.